अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन–जाति (अपराध निरोधक) अधिनियम, **1989**

प्रस्तावना

आर्थिक या अन्य अयोग्यताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। समाज के प्रत्येक कमजोर वर्ग को मुफ्त एवं उचित कानूनी सेवाऐं प्रदान करने के लिए विधिक सेवाऐं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण का गठन किया गया है। न्याय केवल न्यायालयों में लंबित वादों तक सीमित नहीं है। कानूनी जागरूकता व साक्षरता, विधिक सहायता के स्तम्भ है। हरियाणा राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण (हालसा) कानूनी जागरूकरता व साक्षरता के लिए प्रयासरत है। हालसा द्वारा राज्य के विभिन्न गांवों में विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित किये गये हैं, जिनमें पराविधिक स्वयं सेवक व पैनल के वकील विधिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके ईलावा हालसा द्वारा कानूनी जागरूकता व साक्षरता अभियान चलाया हुआ है। आम लोगों तक कानूनी ज्ञान पहुंचाने के लिए हालसा द्वारा सरल भाषा में विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाऐं छपवाई गई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति कानूनी ज्ञान से वंचित न रह सके व अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर सके। यह पुस्तिका उन्ही मे से एक है। अब तक हालसा 1,35,000 कानूनी ज्ञान की पुस्तिकाऐं आम लोगों में बंटवा चुका है। इसी अभियान को आगे बढाते हुये अब हालसा 27,00,000 सरल भाषा में कानूनी ज्ञान की पुस्तिकायें छपवा कर ग्रामीण व मलिन बस्तियों के लोगों को कानूनी अधिकारों बारे जागरूक करने जा रहा है। आशा है कि यह पुस्तिका आप सब के लिए उपयोगी होगी व आपके कानूनी ज्ञान के लिए मार्गदर्शिका बनेगी।

दिनांकः1.1.2012

(दीपक गुप्ता)
सदस्य सचिव

वर्ष 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तब से भारत एक गणतन्त्र देश है और संविधान में प्रदत नियमों और सिद्धांतों के अनुसार शसित है। संविधान समानता, स्वतंत्रता, न्याय, मानवीय गरिमा और भाईचारा के समाजिक मूल्यों को लागू करने का वादा करता है और केन्द्रीय सरकार और राज्यों सरकारों को अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहता है और उनके जीवन के स्तर को उपर उठाने के लिए व अन्य नागरिकों के समान बनाने के लिए कहता है।

लेकिन आजादी के इतने सालों के बाद भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों में से अधिकांश अभी भी अत्यन्त गरीबी और दयनीय स्थिति में रह रहे हैं और अशिक्षित है। उनके अधिकारों का उल्लंघन सरेआम किया जाता है। समाज के शक्तिशाली तत्व उनका शोषण करते है। सरकार द्वारा घोषित विकास कार्यक्रमों और कल्याण परियोजनाओं का लाभ, प्रशासिनिक अधिकारियों की उदासीनता के कारण नहीं उठा पाते। इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के जीवन कि स्थिति आज भी बहुत दयनीय है। इन जातियों के खिलाफ अत्याचार अभी भी जारी है। हर अखबार ऐसी खबरों से भरा रहता है। इन लोगों के कल्याण के लिए कई सामाजिक विधानों को लागू किया गया है। लेकिन इन अधिनियमों में कई कमियों की वजह से अपराधि सजा से बच जाते हैं। फल स्वरूप अत्याचार के शिकार यह लोग सदा भय व चिंता में रहते हैं।

सामाजिक कार्य समूहों, द्वारा अवलोकन और अनुसूचित जन जाति आयोग द्वारा आयोजित सर्वेक्षण बतातें हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के खिलाफ अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए व अत्याचार रोकने के लिए एक नया कानून **''अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों (अपराध निरोधक) अधिनियम 1989''** लागू किया गया है। यह अधिनियम को अगर ठीक से लागू किया जाता है तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के मानव अधिकारों को वास्तव में बढ़ावा मिलेगा। इस वर्ग को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करना अत्यन्त आवश्यक है। अकेले कानून को लागू करने से प्रयाप्त परिणाम प्राप्त नहीं होगें। इस कानून को लागू करने के लिए सरकार और अदालतों द्वारा ठोस कार्य करना आवश्यक है। यह तभी संभव है अगर सामाजिक कार्य समूह, सामाजिक सगंठन, सार्वजनिक और उत्साही व्यक्ति इन जातियों को सुनियोजित करें और उन्हें उचित कानूनों के बारे में जानकारी दें।

इस कानून को बनाने का क्या उद्देश्य है ?

यह कानून अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए बनाया गया है। इसके लिए एक विशेष अदालत का गठन किया गया है जो अपराध से पीड़ित व्यक्तियों के केसों की सुनवाई करेगी और पीड़ित व्यक्तियों को राहत व पुर्नवास का कार्य करेगी।

इस कानून के अन्तगर्त कौन से अत्याचार और अपराध सजा योग्य हैं ?

कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति से सम्बन्ध नहीं रखता और निम्नलिखित अत्याचार और अपराध करता है।

1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखने वाले सदस्य को अखाद्य या हानिकारक पदार्थ खाने के लिए मजबूर करना।

2. बेइज्जत करने व कष्ट पहुँचाने के उद्देश्य से उसके घर याँ पड़ोस में मलमूत्र, मृत शरीर या हानिकारक पदार्थ डालना।

3. किसी भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति के कपड़े उतारना और नग्न करके या मुँह अथवा शरीर पर कालिख लगा कर जलूस निकालना या कोई अन्या कार्य करना जो मानव गरिमा के विरूद्ध हो।

4. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करना या जबरदस्ती से जौतना।

5. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति को मिली जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम गैर कानूनन तबदील करना।

6. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सदस्य को उसकी जमीन या परिसर से अवैध रूप से निकालना और जमीन, पानी या परिसर के उपयोग में हस्ताक्षेप करना।

7. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सदस्य से जबरदस्ती बेगार, बंधुआ मजदूरी और इनसे मिलते जूलते कार्य कराना जो श्रम कानून द्वारा निषेध है।

8. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सदस्य को मतदान करने से रोकना या किसी विशेष व्यक्ति के हक में मत डालना या किसी कानून द्वारा निषेध ढंग से मतदान करने के लिए मजबूर करना।

9. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति के खिलाफ झुठा मुकदमा करना या अपराधिक कार्यवाही करना।

10. किसी भी सरकारी नौकर को गलत सूचना देकर उससे मजबूरन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को चोट पहुँचाना, नुक्सान पहुँचाना और उत्पीड़ित करना।

11. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर अपमानित करना व डराना और धमकाना, उसे अपमानजनक करने की नीयत से।

12. किसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति कि महिला का अपमान करना और लज्जा कलंकित करना।

13. किसी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की महिला का हिरसात में होने कि स्थिति में या अधिकारिक स्थिति का उपयोग करते हुये यौन शौषण करना।

14. आमतौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के द्वारा प्रयोग किये जाने वाले पानी व जलाश्य को दूषित करना।

15. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों या महिलाओं को सार्वजनिक स्थल का प्रयोग करने से रोकना व उस पर जाने के लिए बनाये गये रास्ते से रोकना।

16. किसी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को उसका घर या गांव छोड़ने के लिए मजबूर करना।

सजा क्या हो सकती है -

- *ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को क्या सजा हो सकती है?*

अपराधी व्यक्ति को कम से कम छः महीने और ज्यादा से ज्यादा पांच साल और जुर्माने की सजा हो सकती है।

झुठी गवाही के लिए सजा -

- *अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति के खिलाफ झूठी गवाही देने की क्या सजा हो सकती है ?*

यदि कोई गैर अनुसूचित जाति या गैर अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ जानबूझ कर झूठी गवाही देता है या झूठा सबूत तैयार करता है और इस तरह उस निर्दोष व्यक्ति को मृत्यु दण्ड योग्य अपराध का अपराधी पाया जाता है, तब उसे उम्र कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।

यदि निर्दोष जिसे सजा हुई, वो अनुसूचित या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है, तब जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है या झूठा सबूत तैयार करता है उसे मृत्यु दण्ड दिया जा सकता है।

अगर झूठी गवाहीया झूठा सबूत एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति के खिलाफ बने उस केस में दिया हो जिस अपराध के लिए सात वर्ष से अधिक की कारावास से दण्डित किया जा सकता है तो झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति को कम से कम छः महीने के कारावास से दण्डित किया जा सकता है और अधिकतम सात साल या उससे अधिक और जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है।

सम्पति को नुकसान पुहंचाने की सजा -

- *किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति की सम्पति को आग या किसी विस्फोटक पदार्थ से नुकसान पहुंचाने की सजा क्या है ?*

गैर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति व्यक्ति द्वारा किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति की सम्पति को नुकसान पहुंचाने के लिए किये गये उपरलिखित अपराध कि सजा कम से कम छः महीने और ज्यादा से ज्यादा सात साल के कारावास और जुर्माना हो सकता है।

किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति के निवास स्थान या पूजा स्थल को विस्फोटक पदार्थ या आग से नष्ट हो जाने पर दोषी व्यक्ति को उमर कैद और जुर्माना हो सकता है।

- *अनुसूचित जाति या अनुसूचिज जन जाति के सदस्य की सम्पति के खिलाफ अपराध करने की सजा क्या है ?*

यदि एक गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति व्यक्ति किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति व्यक्ति या उसका/उसकी सम्पति के खिलाफ कोई भी अपराध करता है जिसकी भारतीय दण्ड संहिता के अन्तगर्त कम से कम दस साल या उससे अधिक सजा हो सकती है, तब उसे उम्र कैद और जुर्माना हो सकता है।

सबूत नष्ट करने के लिए सजा -

- *सबूत नष्ट करने पर क्या सजा हो सकती है ?*

कोई व्यक्ति जानकारी रखते हुए कि भारतीय दण्ड संहिता के अन्तगर्त किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति या उसकी सम्पति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तगर्त अपराध हुआ है या जानबूझकर सभी सबूत नष्ट कर देता है, उस अपराधी को बचाने के लिए या अपराध के बाबत या अपराधी के बाबत झूठी सूचना देता है, इसके लिए दोषी उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए सजा हो सकती है, जो दोषी ने किया है।

सरकारी नौकर द्वारा किये गये अपराध की सजा -

- *इस अधिनियम के अन्तगर्त सरकारी नौकर द्वारा किये गये अपराध की सजा क्या हो सकती है ?*

गैर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति सरकारी नौकर अगर किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के विरूद्व कोई अपराध करता है। तब उस अपराध के लिए उसे एक वर्ष की सजा हो सकती है और भारतीय दण्ड संहिता के अन्तगर्त जो सजा उस अपराध कि है वहां तक सजा बढ़ाई जा सकती है।

कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए सजा -

- *क्या गैर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति सरकारी नौकर को इस अधिनियम के अन्तगर्त अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने पर सजा दी जा सकती है ?*

हाँ, एक सरकारी नौकर जो जानबूझकर इस कानून के अन्तगर्त अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो उसे छः महीने से लेकर एक वर्ष तक कारावास से दडिंत किया जा सकता है।

सजा बढ़ाने का प्रावधान -

- *क्या अदालत इस कानून के अन्तगर्त किये गये अपराध की सजा बढ़ा सकती है ?*

हाँ, यदि कोई व्यक्ति इस कानून के अर्न्तगत एक से अधिक बार अपराध करने का दोषी पाया जाता है तो उसे एक वर्ष की न्यूनतम सजा दी जा सकती है। जो भारतीय दण्ड संहिता के अर्न्तगत उस अपराध कि सजा के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता के अर्न्तगत प्रावधान -

- *क्या इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है ?*

धारा 34, धारा 149, अध्याय III, अघ्याय IV, अध्याय V(A), अध्याय और भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय XXIII के प्रावधान इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए लागू किये जा सकते हैं।

सम्पति को जब्त करना -

- *क्या विशेष अदालत किसी व्यक्ति की सम्पति जब्त करने का आदेश कर सकती है?*

जब किसी व्यक्ति को विशेष अदालत इस कानून के अध्याय II के अर्न्तगत दोषी ठहराती है तो उस अपराध में इस्तेमाल की गई चल व अचल सम्पति जब्त करने के लिखित आदेश सरकार को कर सकती है। यह आदेश सामान्य सजा के ईलावा दी जा सकती है।

विशेष अदालत केस की सुनवाई के दौरान दोषी व्यक्ति की सम्पति कुर्क कर सकती है। सुनवाई समाप्त होने पर जुर्माने की राशि को वसलूने के लिए कुर्क की गई सम्पति को भी जब्त किया जा सकता है।

शक्तियाँ -

- *सरकार द्वारा अपने अधिकारीयों को क्या शक्तियाँ प्रदत्त की हैं ?*

एक प्रकार के विवादों से निपटने के लिये और इस अधिनियम के तहत अपराधो की रोकथाम के लिए राज्य सरकार अपनी गजट अधिसूचना जारी करके जिले में किसी भी अधिकारी को कार्यवाही के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति प्रदान कर सकती है। विशेष रूप से गिरफ्तारी, जांच और विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन की शक्तियाँ।

इस अधिनियम, नियम व योजनाओं के प्रावधानों को लागू करवाने के लिए सभी पुलिस और सरकारी अधिकारी शक्ति प्रदान किये गये उस अधिकारी की सहायता करने के लिए बाध्य है।

दर-बदर करना -

किस व्यक्ति को अनुसूचित क्षेत्र या जन जाति क्षेत्रों से दर-बदर किया जा सकता है ?

जब विशेष अदालत शिकायत की सच्चाई और पुलिस रिर्पोट से सन्तुष्ट हो जाये कि व्यक्ति अनुसूचित क्षेत्रों या जनजातिय क्षेत्रों में अध्याय II के अर्न्तगत अपराध करने वाला है तो अदालत निर्धारित रास्ते व निर्धारित

समय में उस अपराधि को उस क्षेत्र को छोडने के लिखित आदेश कर सकती है। यह भी निर्देश दे सकती है कि वह व्यक्ति उस क्षेत्र में कितने समय के लिये (अधिक से अधिक दो वर्ष) प्रवेश नही करेगा। अदालत ने यह आदेश किन आधारों पर पारित किया, हय बताना अनिवार्य है।

- *क्या विशेष अदालत को उपरोक्त आदेश संशोधित करने की शक्ति है?*

विशेष अदालत दर-बदर आदेश को रद्द या संशोधित कर सकती है अगर प्रभावित व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि तीस दिनों के अन्दर इसके लिए याचिका दायर करें अगर अदालत अपने पहले आदेश को रद्द या संशोधित करती है तो लिए अदालत कारणों का पूरा विवरण अभिलेख करेगी।

हटाने की प्रक्रिया -

- *यदि निर्देशित व्यक्ति दर-बदर आदेश की पालना नहीं करता या बिना अनुमति के क्षेत्र में वापिस आ जाता है तब क्या कदम उठाये जा सकते हैं ?*

ऐसी स्थिति में विशेष अदालत आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का और निर्दिष्ट स्थान से हटाने का आदेश कर सकती है।

- *क्या विशेष अदालत दर-बदर व्यक्ति को उसी क्षेत्र में वापिस लौटने की अनुमति दे सकती हैं ?*

हाँ, विशेष अदालत अस्थाई अवधि के लिए कुछ शर्तों के आधार पर वापिस आने की अनुमति दे सकती है। शर्तों के अवलोकन के लिए जमानत या व्यक्तिगत जमानत देने का आदेश कर सकती है। अदालत अपनी अनुमति किसी भी समय वापिस ले सकती है।

मापन और तस्वीरें लेना -

- *क्या विशेष अदालत पुलिस अधिकारी को दर-बदर व्यक्ति का मापन व तस्वीर लेने की अनुमति दे सकती है ?*

हाँ,

- *दर-बदर व्यक्ति द्वारा मापन और तस्वीर लेने का विरोध या मना करने पर पुलिस क्या कारवाई कर सकती है ?*

पुलिस अधिकारी मापन व तस्वीरें लेने के लिए सभी आवश्यक कदमों का प्रयोग कर सकता है।

- *क्या मापन और तस्वीर लेने से मना करना अपराध है ?*

हाँ, यह भारतीय दण्ड संहिता के धारा 185 के अर्न्तगत एक अपराध माना जा सकता है।

- *अगर दर-बदर आदेश रद्द कर दिया जाता है तब मापन और तस्वीर के सम्बन्ध आदेश पर क्या असर होगा ?*

जब दर-बदर के आदेश को निरूस्त किया जाता है, सभी मापन और तस्वीरें (नकरात्मक सहित) नष्ट करने या दर-बदर व्यक्ति को वापिस देने का आदेश होता है।

नापालना के लिए जुर्माना -

- क्या अधिनियम की धारा 10 के तहत दरबदर आदेश की नापालना करने पर दण्ड है ?

आदेश की ना पालना करने पर एक वर्ष की सजा और जुर्माना हो सकता है।

विशेष अदालत -

- अधिनियम के तहत विशेष अदालत की प्रकृति क्या है ?

त्वरित सुनवाई के उद्देश्य से राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परार्मश के साथ प्रत्येक जिले के लिए सत्र न्यायालय स्तर की विशेष अदालत निर्दिष्ट कर सकती है। इस न्यायालय को अधिनियम के तहत अपराधों को सुनने की शाक्ति है।

विशेष लोक अभियोजक -

- *विशेष अदालत के लिए लोक अभियोजक कौन नियुक्त हो सकता है ?*

प्रत्येक विशेष अदालत के लिए राज्य सरकार सरकारी वकील को निर्दिष्ट कर सकती है या जिस अधिवक्ता की सात साल की वकालत है, उसे

केसों के समापन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकती है।

सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति -

- *क्या कानून के तहत किये गये अपराध में सरकार सामूहिक जुर्माना लगा सकती है?*

नागरिक सुरक्षा अधिकार अधिनियम 1955 की धारा 10-ए के अर्न्तगत छुआछुत का अपराध करने पर सरकार सामूहिक जुर्माना लगा सकती है।

निवारक कार्यवाही -

- *इस अधिनिमय के तहत किये गये अपराधों को रोकने के लिए कार्यवाही करने की शक्ति किसके पास है ?*

यह सूचना की गैर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी विशेष क्षेत्र में अपराध करना चाहते हैं, अगर जिला मैजिस्ट्रेट, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, कोई दुसरा कार्यकारी मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी जो कि उप अधिक्षक स्तर से नीचे न हो, को प्राप्त होती है और वह प्रार्प्यत कारणों से इस सूचना को विश्वासनीय मानता है (आवश्यक जांच करने के बाद) तो वह उस क्षेत्र को अत्याचारो से ग्रस्त घोषित कर सकता है और शान्ति, अच्छे आचरण और सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। वह अपराध रोकने के लिए आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने के लिए भी अधिकृत है।

- *इस अधिनियम के अर्न्तगत अपराधो को रोकने के प्रयोजन के लिए अपराधिक प्रक्रिया संहिता के कौन-कौन से प्रावधानो को लागू किया जा सकता है ?*

प्रासंगिक प्रावधान -

1. सुरक्षा, शान्ति बनाये रखने के लिए और अच्छे व्यवहार के लिए अध्याय VIII.

2. सार्वजिनक व्यवस्था व शान्ति के रख रखाव के लिए अध्याय X.

3. इस अधिनियम के अर्न्तगत अपराधों को रोकने के लिए अध्याय XI के तहत पुलिस निवारक कार्यवाही।

– *क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के बीच सुरक्षा बहाल करने या उन पर अत्याचारों को रोकने के लिए राज्य सरकार को विशिष्ट योजनाऐं बनाने की शक्ति है ?*

यह अधिनियम प्रत्येक राज्य सरकार को अधिकार देता है कि वह एक या एक से अधिक योजना बनायें जिसमें अधिकारियों को उचित कार्यवाही करने के लिए निर्दिष्ट करें।

कुछ कानूनों की गैर प्रयोज्यता –

– *क्या कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अर्न्तगत किसी अपराध का दोषी होते हुये अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत करवा सकता है ?*

नहीं, इस अधिनियम के अर्न्तगत किये गये अपराध के लिए धारा 438 के अर्न्तगत अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।

– *क्या दोषी व्यक्ति इस अधिनिमय के तहत अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 360 का लाभ, याँ अपराधी अधिनियम, 1998 के अर्न्तगत परिवीक्षा के प्रावधान का लाभ ले सकता है ?*

अगर 18 साल की उम्र से ज्यादा व्यक्ति इस अधिनियम के अर्न्तगत दोषी पाया जाता है तो उसे, अच्छे आचरण की परिविक्षा पर या चेतावनी रिहा नहीं किया जा सकता।

इस अधिनियम के अधिभावी प्रभाव –

– *क्या इस अधिनियम के अन्य मौजूदा कानून, रिवाज या उपयोग पर अधिभावी प्रभाव है ?*

हाँ, इस अधिनियम के प्रावधान अन्य मौजूदा कानून व रिवाजों पर प्रबल होंगे।

सरकार के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कर्तव्य –

– *क्या सरकार का इस अधिनिमय के प्रावधानों को प्रभावी कार्यन्वयन के लिए सुनिश्चित दायित्व है ?*

राज्य सरकार इस अधिनियम के धारा 21 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यन्वयन के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए बाध्य है। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं।

1. अत्याचार के शिकार व्यक्तियों को कानूनी सहायता देना।

2. मामले की जाँच व मुकद्दमें की सुनवाई के दौरान गवाहों व पीड़ित के भरण-पोषण व यात्रा का खर्चा देना।

3. अत्याचार के शिकार लोगों को सामाजिक व आर्थिक तौर पर पूर्नवास के लिए सुविधाऐं उपलब्ध करवाना।

4. इस अधिनियम के अर्न्तगत अपराध करने वालों के अभियोजन की निगरानी और संचालन करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त करना।

5. अत्याचारों को रोकने के लिए उपयुक्त उपायों को लागू करने में सरकार की सहायता के लिए समितियों की स्थापना।

6. इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने की दृष्टि से आवधिक सर्वेक्षण करना।

7. उन क्षेत्रों को चिन्हित करना जहाँ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के सदस्य क्रूरता के शिकार हो सकते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय अपनाना।

– *इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का क्या दायित्व है ?*

केन्द्र सरकार राज्यो द्वारा किये गये उपायों का समन्वय करने के लिये बाध्य है।

अच्छी निष्ठा से की गई कार्यवाही का संरक्षण –

– *क्या इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधानों को लागू करने के लिए सरकार या उसके अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं ?*

अच्छी निष्ठा से इस अधिनियम के अन्तर्गत की गई कोई भी कार्यवाही के लिये किसी भी सरकारी कर्मचारियों या प्राधिकरणों के खिलाफ दावा, प्रयोजन या कोई भी दूसरी कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

---000---